रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग—III खण्ड—4
PART—III Section—4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 347] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2014

फा.सं. 1-12/ एससीआई.पैनल/ (अधिसूचना)/ एफएसएसएआई/ 2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ञ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं. फा.सं. 1-12/ एससीआई.पैनल/ (अधिसूचना)/ एफएसएसएआई/ 2012 तारीख 29 नवंबर, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 5 दिसंबर, 2012 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य हैं, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 दिसंबर, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, प्रति जीवाणु और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों से संबंधित उप विनियम 2.3.2 में, पैराग्राफ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" (3) नीचे दी गई सारणी में एलसी-एमएस / एमएस पद्धति द्वारा अवधारित किए जाने पर परिमाणन की सीमा के आधार पर शहद में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रति जीवाणुओं की सीमा, स्तंभ (3) में विहित सहयता सीमा से अधिक नहीं होगी :—

क्रम सं.	प्रतिजीवाणु का नाम	सहयता सीमा (माइक्रोग्राम/केजी)
1.	क्लोरामफेनिकोल	0.3 *
2.	नाइट्रोफुरान्स और उसके उपापचयज	0.5 * अलग-अलग या सामूहिक रूप से
3.	सल्फोनामाइड्स और उसके उपापचयज	5.0 * अलग-अलग या सामूहिक रूप से
4.	स्ट्राप्टोमाईसिन	5.0 *
5.	टेट्रासाइक्लिन	5.0 *
	(क) ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन	5.0 *
	(ख) क्लोरटेट्रासाइक्लिन	5.0 *
6.	एंपीसिलीन	5.0 *
7.	एनरोफ्लोक्सासिन	5.0 *
8.	सिपरोफ्लोक्सासिन	5.0 *
9.	एरिथ्रोमाइसिन	5.0 *
10.	टाइलोसिन	5.0 *
	* एलसी-एमएस / एमएस पद्धति के आधार पर परिमाणन की सीमा" ।	

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./191एफ/2014]

पाद टिप्पण.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना सं. 2-15015/ 30/ 2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2014

F. No. 1-12/Sci.Panel/(Notification)/FSSAI/2012.—Whereas a draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards(Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 were published, as required by clause (j) of sub-section 2 of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) No F. No.1-12/Sci. Panel/ (Notification)/FSSAI/ 2012, dated 29th November, 2012 in the Gazette of India, Extraordinary, in Part-III, Section 4, dated 5th December, 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification was published and made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th December, 2012;

And whereas objections or suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section 2 of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes

the following regulations to amend the Food Safety and Standards(Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:—

REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2014.
(2) They shall come into force after the expiry of sixty days from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.2 relating to Antibiotic and other Pharmacologically active substances, after paragraph(2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
"(3) The limit of antibiotics mentioned in column(2), in Honey on the basis of Limit of Quantification, shall not exceed the tolerance limit prescribed in column(3) when determined by the LC-MS/MS method in the table given below:—

Sr.No.	Name of Antibiotics	Tolerance Limit (microgram/kg)
1.	Chloramphenicol	0.3*
2.	Nitrofurans and its metabolites	0.5* either individually or collectively
3.	Sulphonamides and its metabolites	5.0* either individual or collectively
4.	Streptomycin	5.0*
5.	Tetracycline	5.0*
	(a) Oxytetracycline	5.0*
	(b) Chlortetracycline	5.0*
6.	Ampicillin	5.0*
7.	Enrofloxacin	5.0*
8.	Ciprofloxacin	5.0*
9.	Erythromycin	5.0*
10.	Tylosin	5.0*
	* Limit of Quantification on the basis of LC-MS/MS method ".	

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.III/4/Exty./191/F/2014]

Foot note.—The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 1st August, 2011 *vide* notification No. 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.